न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्र कुमार (RAS)

अनुवान राजेसिंह आदि बनाम शिशपाल सिंह आदि

वाद संख्या 162 सन् 2015

निर्णय दिनांक :–27.01.2025

1. राजेसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपुत निवासी भलाऊ ताल तहसील तारानगर (चूरू)
2. इन्द्रसिंह पुत्र फतहेसिंह जाति राजपुत निवासी भलाऊ ताल तहसील तारानगर (चूरू)

– वादीगण –

बनाम

1. शिशपाल सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपुत निवासी भलाऊ ताल तहसील तारानगर
2. कुशलसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपुत निवासी भलाऊ ताल तहसील तारानगर
3. भुगानसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपुत निवासी भलाऊ ताल तहसील तारानगर
4. भंवरी कंवर पुत्री फतेहसिंह जाति राजपुत निवासी भलाऊ ताल तहसील तारानगर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील तारानगर जिला चूरू
6. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा तारानगर जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा घोषणात्मक हस्ब दफा 88 आर.टी.एक्ट व धारा 5 कॉलो. एक्ट

उपस्थिति

1. श्री केदारमल स्वामी एडवोकेट वास्ते वादीगण।
2. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 05 तहसीलदार तारानगर।

वादीगण द्वारा स्व. फतेहसिंह की वंश वृक्षावली अंकित कर प्रस्तुत किये गयें इस दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषिभूमि खसरा नं 414 तादादी 0.07 बीघा, खसरा नं 638/412 तादादी 10.05 बीघा, खसरा नं 644/415 तादादी 21.11 बीघा कुल तादादी 32.03 बीघा रोही भलाऊ ताल तहसील तारानगर ही विवादित है। विवादित भूमि के पूर्व खातेदार वादीगण के पिता फतेहसिंह थे। फतेहसिंह ने अपने जीवनकाल में विवादित कृषिभूमि की वसीयत दिनांक 16.08.1984 को वादीगण के हक में सब रजिस्ट्रार कार्यालय तारानगर में पंजीयन करा दी। फतेहसिंह के गुजरने के बाद समस्त कृषिभूमि की दस्तबरदारी 11.03.1997 को वादीगण के हक में करा दी। जिससे इन्तकाल सं. 285 दिनांक 28.03.1997 द्वारा 6/7 हिस्से के खातेदार वादीगण एवं 1/7 हिस्से की खातेदार गोरां पत्नी स्व. फतेहसिंह हो गये। खातेदार गोंरा का देहान्त दिनांक 01.03.07 को हो गया। खातेदार गोरां के मरने के बाद उसके 1/7 हिस्सा वादीगण के

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

पक्ष में दर्ज होना चाहिये थी मगर राजस्व कर्मचारियों ने इन्तकाल इन्तकाल संख्या 533 दिनांक 07.01.2003 से इसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज कर दिया। जो अवैध है क्योंकि मूल खातेदार फतेहसिंह ने दिनांक 16.08.84 को वसीयत एकमात्र वादीगण के हक में कर दी थी। दस्तबरदारी दिनांक 14.03.1997 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय तारानगर में कराई थी उसमें भी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने अपनी मां के स्व. हो जाने के बाद भी अपना हक राजेसिंह, इन्द्रसिंह के हक में छोड़ना अंकित किया है।

इस प्रकार विवादित कृषिभूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक एवं हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में आने से वादीगण के अधिकारों पर बुरा असर पड़ा है। वादीगण खाता दुरूस्त कराने का अधिकारी है। इसी कारण वादीगण को यह घोषणात्मक वाद पेश करना पड़ रहा है। विवादित कृषिभूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। समस्त कृषि भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार वादीगण है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा व कहलवाया कि विवादित कृषिभूमि में उनका कोई हक व हिस्सा नहीं है। राजस्व रिकोर्ड में नाम हटाकर खाता दुरूस्त करा देवें। प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टाल–मटोल करते रहे आखिर दिनांक 02.09.2015 को बमुकाम तारानगर में ऐसा करने से साफ इन्कार हो गय लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखालत वाद है। विवादित कृषिभूमि का लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार तारानगर को तथा यह बैंक के रहन होने से बैंक को वाद पक्षकार बनाया गया है। आदि–आदि।

इस प्रकार वादीगण ने पेश कर विवादित कृषिभूमि खसरा नं 414 तादादी 0.07 बीघा, खसरा नं 638/412 तादादी 10.05 बीघा, खसरा नं 644/415 तादादी 21.11 बीघा कुल तादादी 32.03 बीघा रोही भलाऊ ताल तहसील तारानगर एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं इसके राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 का नाम हटाने का अनुतोष चाहा है।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का वकालतनामा श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ व सतीश कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 4 का वकालातनामा श्री रविन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्तागण ने पेश किये। प्रतिवादी संख्या 6 रजिस्ट्रड सम्मन तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहा अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित रहें।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम तथा प्रतिवादी संख्या 04 ने जवाब इकबाल दावा पेश किया। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के

Jayendra

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

काउन्टर क्लेम का जवाब पेश किया। जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार ने जाहिर किया कि प्रकरण में राज्यहित नहीं है।

दावा, प्रतिदावा तथा जवाब प्रतिदावा के आधार पर निम्न विवाधक कायम किये गये।

1. आया वादीगण कृषिभूमि खसरा नं 414 तादादी 0.07 बीघा, खसरा नं 638/412 तादादी 10.05 बीघा, खसरा नं 644/415 तादादी 21.11 बीघा कुल तादादी 32.03 बीघा रोही भलाऊ ताल तहसील तारानगर में 6/7 + 1/7 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है।
   –जिम्मे वादीगण–
2. आया विवादित कृषिभूमि पैतृक होने के कारण प्रतिवादीगण भी बराबर–बराबर हिस्से के हकदार है।
   – जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01 ता 03–
3. अनुतोष ?

वकील वादी ने साक्ष्यवादी में निम्न मौखिक एवं लिखित साक्ष्य पेश कियें।

1. नकल जमांबदी सम्वंत 2069–2072 खाता संख्या 147 ग्राम भलाऊ ताल Ex-1
2. नकल इंतकाल नम्बर 285 ग्राम भलाऊ ताल Ex-2
3. नकल इंतकाल नम्बर 533 ग्राम भलाऊ ताल Ex-3
4. फोटोप्रति वसीयत दिनांक 17.08.1984 Ex-4
5. फोटोप्रति दस्तबरदारी दिनांक 14.03.1997 Ex-5

दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं व इनके अधिवक्तागण बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहें। अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा अदम फैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया। इसके खिलाफ उक्त प्रतिवादीगण द्वारा कोई चाराजोई नहीं की गई।

वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी संख्या 04 की बहुपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि वादीगण के पिता फतेहसिंह ने वादीगण के पक्ष में रजिस्ट्रड वसीयत कराई थी। उक्त वसीयत में वादीगण द्वारा ही सेवाचाकरी करना व वसीयत कर्ता के साथ रहना एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का डूंगरगढ़ में आबाद होना अंकित किया है। उक्त वसीयत का अंकन नहीं कराया जा सका। इससे स्व. फतेहसिंह की संतानों वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 तथा उनकी पत्नी गोरा का 1/7–1/7 हिस्सा बना लेकिन दस्ताबदारी दिनांक 14.03.1997 से प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 ने स्व. फतेहसिंह की उक्त विरासतन भूमि से अपना समस्त 4/7 हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया। स्व. गोरा के 1/7 हिस्सा बाबत प्रतिवादीगण ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि हमारी मां के स्वर्गवास के बाद भी हम अपना हिस्सा राजेसिंह व इन्द्रसिंह के हक में छोड़ते है व हक राजेसिंह व इन्दसिंह लेने के हकदार है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से समस्त भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग दी गई है। इनका विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं रहा है। वादीगण एक मात्र हकदार है। दावा डिक्री किया जाये। प्रतिवादी संख्या 04 के अधिवक्ता ने वादीगण के अधिवक्ता ने बहस का समर्थन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली तथा इस पर उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। दावा का निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार किया जाता है।

Jogendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

तनकी संख्या 01 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वकील वादीगण की बहस है कि वादीगण के पिता फतेहसिंह ने वादीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत कराई थी। इम्पलीमेन्ट नहीं हो सके। इसरो वाद प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 तथा माता गोरा का 1/7–1/7 हिस्सा बना। दस्तबरदारी दिनांक 14.03.1997 से प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 ने विरासतन भूमि का अपना समस्त 4/7 हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया। माता गोरा को मिलने वाला हिस्सा भी इसी दस्तबरदारी से वादीगण के हक में छोड़ दिया। प्रदर्श EX-4A से स्वर्गीय फतेहसिंह द्वारा विवादित कृषिभूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में वसीयत करना होना जाहिर है। उक्त वसीयत का अमल राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हुआ है। प्रदर्श EX-5A से प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 द्वारा अपना विरासतन हिस्सा वादीगण के हक में छोड़ना प्रमाणित है। इस प्रदर्श में वाद पक्षकारान की माता के 1/7 हिस्सा बाबत प्रतिवादीगण ने स्पष्ट लिखा है कि हमारी मां के स्वर्गवास के वाद भी हम अपना हक वादीगण के पक्ष में छोड़ते है। इस हक को लेने के वादीगण हकदार है। इस प्रकार प्रतिवादी 01 ता 04 में विवादित भूमि का अपना समस्त हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है। हकत्याग करने से प्रतिवादीगण का विवादित भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रहा है। समस्त भूमि कें मालिक वादीगण वहिस्सा वराबर हो गये है। जबकि प्रतिवादीगण ने वादीगण के अनुतोष के विरूद्ध किसी प्रकार का लिखित एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का रहा है। कोस्ट सहित बार–बार अवसर दिया जाने पर भी प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार का लिखित व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे वें इस तनकी को साबित करने में विफल रहें है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

–: आदेश :–

चूंकि वादीगण तनकी संख्या 01 को साबित करने में पूर्णतया सफल रहें है। वादीगण ने अपने दावा को मौखिक साक्ष्य से भी प्रमाणित किया है। अतः वाद डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादीगण राजेसिंह व इन्द्रसिंह पुत्रगण फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी भलाऊ ताल तहसील तारानगर विवादित कृषिभूमि खसरा नं 414 तादादी 0.07 बीघा, खसरा नं 638/412 तादादी 10.05 बीघा, खसरा नं 644/415 तादादी 21.11 बीघा कुल तादादी 32.03 बीघा रोही भलाऊ ताल तहसील तारानगर के ब.हि.ब. खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। तहसीलदार तारानगर को आदेश है कि वह विवादित भूमि का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड कलमजन कर इसकी खातेदार वादीगण के नाम ब.हि.ब. दर्ज करें। बैंक के नाम रहन भूमि यथावत रहन रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवायी गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)